



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012026-268985
CG-DL-E-01012026-268985

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5929]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2025/पौष 10, 1947

No. 5929]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2025/PAUSHA 10, 1947

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2025

सां. आ. सं. 6139(अ).— (ई) केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, इस अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए, केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति के नामांकन को एतद्वारा अधिसूचित करती है:

क्र.सं.	नाम और पदनाम	अधिनियम की धारा
1.	श्रीमती गुहा पूनम तपस कुमार, आईएएस आयुक्त-सह-सचिव, हथकरघा, वस्त्र और हस्तशिल्प विभाग, ओडिशा सरकार।	अधिनियम की धारा 4(3)(i) के तहत ओडिशा सरकार की सिफारिश पर नामित

[फा. सं. 25011/02/2025-सिल्लक]

पदमिनी सिंगला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2025

S.O. 6139(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby notifies the nomination of following person to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years from the date of this notification subject to the provisions of the Act:

S. No.	Name and designation	Section of the Act
1	Mrs. Guha Poonam Tapas Kumar, IAS Commissioner-cum-Secretary, Handlooms, Textiles & Handicrafts Department, Government of Odisha	Nominated on the recommendation of Govt. of Odisha under Section 4(3) (i) of the Act.

[F. No. 25011/02/2025-Silk]
PADMINI SINGLA, Jt. Secy.